न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 59/2018

1 मूर्ति मन्दिर भगवान श्री गोपाल जी विराजमान नीमका जोहड़ा तन ग्राम छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू जरिये पुजारी रामजीदास स्वामी पुत्र भगवानदास स्वामी उम्र 42 वर्ष निवासी नीम का जोहड़ा तन ग्राम छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
2 रामजीदास स्वामी उम्र 42 साल पुत्र भगवानदास स्वामी निवासी नीम का जोहड़ा तन ग्राम छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू जरिये पुजारी मुर्ति मन्दिर भगवान श्री गोपाल जी विराजमान नीमका जोहड़ा तन ग्राम छोपाली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमान जिलाधीश महोदय जरिये राजस्थान सरकार झुन्झुनू।
2 श्रीमान मुख्य वन संरक्षक/निर्देशक वन भवन जयपुर।
3 श्रीमान जिला वन अधिकारी जिला वन कार्यालय झुन्झुनू।
4 श्रीमती क्षेत्रीय वन अधिकारी उदयपुरवाटी (इन्द्रपुरा नर्सरी) जिला झुन्झुनू।
5 श्रीमान तहसीलदार तहसील कार्यालय उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
6 श्रीमान सरपंच महोदय जरिये ग्राम पंचायत छोपाली प.स. उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील मुतफरीक बखिलाफ आदेश न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी बउनवानी
मुकदमा मुर्ति मन्दिर बनाम श्रीमान जिलाधीश
महोदय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं.
412/2012 बखिलाफ आदेश दिनांक 16.05.2018

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 25.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा 412/2012 में पारित निर्णय दिनांक 16.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके ग्राम छापोली में मुर्ति मन्दिर भगवान जी गोपाल जी पुजारी मनसुखददास चेला ध्यानदास जाति स्वामी निवासी नीम का जोहड़ा तन छापोली में काश्त की भूमि गत खसरा नम्बर 1 व 61 से 89 में काश्त की भूमि अवस्थित है व नये सेटलमेन्ट ने उक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जमीन को वन विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जिसे दुरूस्त करवाने का दावा व टी.आई का आवेदन पेश किया था व उक्त आवेदन मिसल वास्ते जवाब रेस्पोडेन्ट में चल रहा था व आगामी तारीख पेशी 16.05.2018 नियत थी परन्तु विचारण न्यायालय ने बिना कोई नोटिस दिये व बिना फरीकेन को सुचित किये व बिना किसी फरीकेन के दरख्वास्त के दिनांक 09.05.2018 को राजस्व कैम्प में बिना किसी फरीकेन की उपस्थिति के उक्त टी.आई. का आवेदन खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने दिनांक 03.01.2013 को वकालतनामा पेश किया व जवाब पेश किया व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 व 5 व 6 की तरफ से वकालतनामा दिनांक 21.05.2013 को पेश किया व जवाब के लिये समय चाहा व तारीख पेशी 24.05.2013, 07.06.2013 व दिनांक 12.06.2013 को जवाब अस्थाई निषेधाज्ञा पेश ना करने पर विचारण न्यायालय ने तारीख पेशी दिनांक 18.06.2013 को दोनों पक्षों को सुनकर के अपने आदेश में भूमि कल किता 52 के लिए रेस्पोडेन्टस को पाबन्द किया कि 'बिना विधिक प्रकिया के आवेदक को बेदखल आदि नहीं करें व कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। उक्त भूमि में बिना समक्ष न्यायालय के आदेश के कोई पुख्ता निर्माण आदि नहीं करें एवं कृषि कार्य हेतु भूमि सुधार आदि करने पर कोई दखलन्दाजी नहीं करें। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 09.05.2013 को पेश हो उक्त आदेश के बात में पत्रावली वास्ते जवाब हेतु चल रही थी व गत तारीख पेशी 16.02.2018 को आगामी तारीख पेशी 16.05.2018 नियत थी। विचारण न्यायालय ने बिना किसी फरीक की दरखवास्त के व बिना फरीकेन को नोटिस दिये दिनांक 09.05.2018 को कैम्प कोर्ट छापोली में निर्णय पारित कर अपीलान्ट की अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन को खारिज करने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने दोनों फरीकेन से वकील को सुनकर के दिनांक 18.06.2013 को आदेश पारित किया था व पत्रावली वास्ते जवाब नियत थी तो बिना जवाब लिये व बिना जवाब बन्द

किये व बिना फरीकेन को सूचित किये व बिना फरीकेन की बहस सुने एक तरफा मन माने रूप से निर्णय पारित कर गलती की है। विचारण न्यायालय ने इस तरफ भी गौर नहीं किया कि अपीलान्ट (प्रार्थी) के उपस्थित नहीं होने पर व उनके वकील के भी उपस्थित ना होने पर कानूनन अदम हाजरी में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज करना चाहिये था। कानूनी कैम्प में केवल राजीनामा के मामले में आपसी सहमति से निपटाने के बाबत राज्य सरकार का सर्क्युलर है परन्तु विचारण न्यायालय ने बिना सुने बिना राजीनामा की बातचीत फरीकेन से की गयी एक तरफा आदेश न्याय के खिलाफ करने में गलती कानूनी की है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है। वन विभाग के नाम दर्ज भूमि पर अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायलाय में विचाराधीन निर्णय चार लाइन में पारित कर दिया है। निर्णय पारित करते समय रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नियत की गई थी। विचारण न्यायालय में विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर